



50

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1525/05/76/एक/2013-14
सेवा में,

दिनांक : 26 अगस्त 2013

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बुलन्दशहर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। cgy/n/kgj

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:- (धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	अभिकरण पर रोकी गई सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	बुलन्दशहर	नगर निकाय औरंगाबाद	मो0 नूर तालाब मालियान में श्री मो0 मुमतियाज के घर से बारात घर (पवसरा रोड) तक नाली व इण्टरलाकिंग	8.565	0.950	7.615	PNB 456800010004 6637
2	बुलन्दशहर	नगर निकाय औरंगाबाद	मो0 नूर तालाब मालियान में श्री असान खॉ के घर से श्री श्याम लाल के घर तक तथा सहायक गलियों में इण्टरलाकिंग	8.195	0.910	7.285	
3	बुलन्दशहर	नगर निकाय औरंगाबाद	मो0 देहली दरवाजा में श्री कलुआ के घर से ईदगाह तक तथा सहायक गलियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	18.695	2.075	16.620	
4	बुलन्दशहर	नगर निकाय औरंगाबाद	मो0 देहली दरवाजा में श्री कनिष्ठ सैनी के घर से अलीसेर के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	8.880	0.985	7.895	
5	बुलन्दशहर	नगर निकाय नरौरा	वार्ड-3 में श्री बलबीर के घर से नरेश बाल्मीकि के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.220	0.465	3.755	
6	बुलन्दशहर	नगर निकाय नरौरा	वार्ड-4 में श्री खेचा आश्रम से दूधाधारी आश्रम तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2.725	0.300	2.425	
7	बुलन्दशहर	नगर निकाय नरौरा	वार्ड-4 में बलबीर बाल्मीकी के घर से खेचा आश्रम तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.175	0.130	1.045	
8	बुलन्दशहर	नगर निकाय नरौरा	वार्ड नं0 7 में श्री कल्लू जाट के घर से सूरदार आश्रम तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	4.690	0.520	4.170	
9	बुलन्दशहर	नगर निकाय नरौरा	वार्ड -7 में श्री ओम प्रकाश जाटव के घर से शिम्भू जाटव के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.815	0.200	1.615	
10	बुलन्दशहर	नगर निकाय नरौरा	वार्ड नं0 -7 में श्री बाबा ओमपुरी के घर से सरस्वती स्कूल तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.380	0.375	3.005	
	योग			62.34	6.91	55.43	

**राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.**

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 4- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 5- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 6- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 7- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।

भारतीय,

(जाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक**पत्रांक एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(जाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक